राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा 324010
फोन (0744)–.2473003 फेक्स (0744)–2473033

क्र0: एफ(2)/बोम–35/2020/2340-2361 दिनांकः– 14 JUL 2020

प्रो. आर.ए.गुप्ता, कुलपति,राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **श्री निरंजन कुमार आर्य,** शासन सचिव (वित्त), वित्त विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर/**श्रीमति शुचि शर्मा** (आई.ए.एस), शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर/ **श्री डी.एस.यादव,** निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, डब्ल्यू–6 रेजिडेंसी रोड,जोधपुर। **श्री सी.डी. प्रसाद,** एसोसिएट प्रोफेसर,, सिविल इंजीनियरिंग विभार्ग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा/ **डॉ. मनीष चतुर्वेदी,** एसोसिएट प्रोफेसर, एच.ई.ए.एस. विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा/ **प्रो. अनिल के0 माथुर,** प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **श्रीमति सुनिता डागा**, कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **संभागीय आयुक्त महोदय,** कोटा संभाग, कोटा/ **श्री संत कुमार चौधरी** "वेद निवास" 141, सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली/**श्री रवि जूनिवाल**, मानद सचिव, अपेक्स ग्रुप आफ इन्सटीटयूशन, 4 ख 18 जवाहर नगर, जयपुर/ **प्रो.राजीव गुप्ता,** प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा/ **प्रो. ए.के.द्विवेदी,** प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **प्रो. संजीव मिश्रा,** प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **श्री पानाचंद मेघवाल** ,माननीय विधायक, बारां– अटरु, गणेश मौहल्ला, सालपुरा रोड, तह.–अटरु, जिला बारां/ **श्री राम नारायण मीणा,** माननीय विधायक, पीपल्दा (कोटा), खोजागेट रोड, बूंदी/**प्रो. बी.पी.सुनेजा,** प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **श्री ए.ए.हनफी,** रिटायर्ड प्रोफेसर, 124, न्यू आकाशवाणी कॉलोनी, कोटा/ **डॉ. रमेश कुमार पचार,** एस.के.आई.टी. महाविद्यालय, जयपुर/ **डॉ. रवि गुप्ता,** अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर

विषय : प्रबंध मण्डल की 35वीं बैठक ऑन लाईन विडियो काफ्रेंसिंग मोड के कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत्।

महोदय/महोदया,

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 35वीं बैठक ऑन लाईन विडियो काफ्रेंसिंग मोड में दिनांक 25 जून 2020 (गुरुवार) को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी कर आपको प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीया

(सुनीता डागा)
कुलसचिव एंव
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल बैठक

कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	35वीं बैठक
स्थान	**Web Ex- Online Video Conference Mode**
दिनांक	25 जून 2020 (गुरुवार)
समय	प्रातः 11.00 बजे

दिनांक 25 जून 2020 को प्रातः 11.00 बजे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की 35वीं बैठक का आयोजन कोरोना माहामारी के मध्यनजर ऑन–लाइन Web Ex-Online Video Conference Mode के माध्यम से किया गया, इस बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे–

1. प्रो. आर. ए. गुप्ता	कुलपति एवं अध्यक्ष
2. श्री राम नारायण मीणा, मा. विधायक	सदस्य
3. श्री पाना चन्द मेघवाल, मा.विधायक	सदस्य
4. श्री के.सी.मीणा, संभागीय आयुक्त, कोटा (एवं वित्त विभाग, राज. के प्रतिनिधि)	सदस्य
5. श्रीमति सुनीता डागा, कुलसचिव	सदस्य सचिव
6. प्रो. संजीव मिश्रा	सदस्य
7. प्रो. बी.पी.सुनेजा	सदस्य
8. प्रो. राजीव गुप्ता	सदस्य
9. प्रो. ए.के.द्विवेदी	सदस्य
10. श्री संत कुमार चौधरी	सदस्य
11. डा. रवि जूनिवाल	सदस्य
12. डा. रवि गुप्ता	सदस्य
13. डा. रमेश कुमार पचार	सदस्य
14. प्रो. अनिल के. माथुर	सदस्य
15. श्री ए.ए.हनफी	सदस्य
16. श्री सी.डी.प्रसाद	सदस्य
17. डा. मनीष चतुर्वेदी	सदस्य
18. श्री राकेश भारतीय –विशेष आमंत्रित	सदस्य
19. प्रो. धीरेन्द्र माथुर –विशेष आमंत्रित	सदस्य
20. डा. डी.के.पलवालिया –विशेष आमंत्रित	सदस्य

देवी सरस्वती की वंदना के पश्चात् बैठक को विधिवत् रूप से प्रारम्भ किया गया ।

बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की गतिविधियों के बारे में सभी माननीय सदस्यों को अवगत करवाया गया। (संलग्नः उपरोक्तानुसार)

प्र.म. 35.1 **प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के येागदान की सराहना।**

संकल्प 35.1 **प्रबंध मण्डल के सदस्य श्री रामनारायण मीणा जी माननीय विधायक (पीपल्दा) एवं श्री पानाचन्द जी मेघवाल माननीय विधायक बारां–अटरु एवं संभागीय आयुक्त श्री के.सी. मीना जी का हार्दिक स्वागत किया गया ।**

निर्वमान सदस्य श्री भरत सिंह जी माननीय विधायक (सांगोद) द्वारा उनके अमूल्य सुझावों एवं सहयोग के लिए प्रबंध मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

प्र.म. 35.2 दिनांक 14.10.2019 को हुई प्रबंध मण्डल की 34वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।

संकल्प 35.2 **दिनांक 14.10.2019 को हुई प्रबंध मण्डल की 34वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया ।**

प्र.म. 35.3 दिनांक 14.10.2019 को हुई प्रबंध मण्डल की 34वीं बैठक की कार्यपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 35.3 **दिनांक 14.10.2019 को हुई प्रबंध मण्डल की बैठक में श्रीमती सीमा अटवाल के प्रकरण में लिये गये निर्णय पर माननीय विधायक महोदय श्री राम नारायण मीणा द्वारा सुझाव दिया गया है प्रकरण में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के विरूध्द कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को लिखा जावे ।**
प्रबंध मण्डल के बिन्दु संख्या 34.9 (आर) के संबंध में यह सुझाव दिये गये कि मैसस सीताराम जिंदल ट्रस्ट, नई दिल्ली से प्राप्त राशि का उपयोग छात्रों के उपयोग में और किस प्रकार लिया जा सकता है, इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को इसकी संभावनायें तलाश करने एवं आगामी मण्डल की बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया।

प्र.म. 35.4 दिनांक 25.02.2020 को सम्पन्न हुई 20वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

संकल्प 35.4 **दिनांक 25.02.2020 को सम्पन्न हुई 20वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया । श्री सन्त कुमार चौधरी,**

माननीय सदस्य द्वारा 20वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 20.15 पर आपत्ति किये जाने के फलस्वरूप अनुमोदित नहीं किया गया। तदउपरान्त माननीय कुलपति महोदय को उक्त प्रकरण का परीक्षण करवाने हेतु एक समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया। समिति की रिपोर्ट को वित्त समिति के माध्यम से आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में रिपोर्ट किया जावेगा।

प्र. म. 35.5 विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय के वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2019–20 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

संकल्प 35.5 **विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय के वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2019–20 के अनुमोदन किया गया । माननीय विधायक महोदय श्री रामनारायण मीणा जी द्वारा कहा गया कि मैसर्स जे.एम.डी. कन्सलटेटस, कोटा को राशि रूपये 50000/– का ब्याज का भुगतान किया गया अतः उक्त फर्म को सही समय पर भुगतान नहीं किये जाने वाले जिम्मेदार कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। जिस पर माननीय कुलपति महोदय ने कमेटी द्वारा की गयी जांच का परीक्षण कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।**

प्र.म. 35.6 राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual property rights) नीति को अंगीकृत करने के संबंध में।

संकल्प 35.6 **राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Intellectual property rights) नीति को अंगीकृत करने का अनुमोदन किया गया एवं निर्देश दिए गए कि उक्त नीति को अपनाते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर इसकी सफलतापूर्वक कियान्विति हेतु आवश्यक बजट की व्यवस्था नियमानुसार करे।**

प्र.म. 35.7 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक महिला कार्मिकों को राजस्थान सरकार के वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी चाईल्ड केयर लीव के अनुसार अनुमति प्रदान करने बाबत्।

संकल्प 35.7 **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक महिला कार्मिकों को राजस्थान सरकार के वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी नियमानुसार चाईल्ड केयर लीव के अनुसार अनुमति प्रदान करने बाबत् प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।**

प्र.म. 35.8 राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पत्र दिनांक 21.08.2017 द्वारा विभिन्न परीक्षा मदो की दरें अनुमोदित की गयी, जिसके सम्बन्ध में इस विश्वविद्यालय के परीक्षा शुल्क व परीक्षा सम्बन्धी अन्य मदों में वृद्वि प्रस्ताव।

संकल्प 35.8 **प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा व्यापक विचार विमर्श किया गया एवं अनुमोदन किया गया कि वर्तमान में कोविड–19 के मध्यनजर छात्रों पर कोई अतिरिक्त वित्तिय भार नहीं बढाया जाना चाहिए। अतः सत्र 2020–21 में परीक्षा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की जावे साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि 34वीं प्रबन्ध समिति के निर्णय सं. 24.5 व 34.आर.1 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षा शुल्क संबंधी प्रस्ताव सैद्धान्तिक सहमति हेतु प्रबन्ध समिति के समक्ष ना लाये जाकर वित्त समिति के माध्यम से अनुशंसित होकर ही अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जावें । वित्त समिति की अनुशंसा पर परीक्षा शुल्क संबंधी आदेश विशेष परिस्थिति को छोडकर प्रबन्ध समिति के अनुमोदन पश्चात् ही जारी किये जावें ।**

प्र.म. 35.9 नौकरी/उच्च शिक्षा हेतु उपाधि प्राप्ति के तत्काल आधार पर प्राप्त आवेदको को अंग्रेजी भाषा (English version) में उपाधि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव।

संकल्प–35.9 प्रस्ताव व प्रारूप का माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया ।

प्र.म. 35.10 **विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के दौरान छात्रों के विरूद्ध दर्ज हुए Unfairmeans प्रकरणों की सजा के प्रावधान (विनिमय R-14) सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षा के दौरान छात्रों के विरूद्ध Unfairmeans प्रकरण प्राप्त होते है। उक्त प्रकरणों पर निर्णय हेतु गठित स्थायी समिति Unfairmeans Redressal Committee द्वारा विनिमय –14 के प्रावधान अनुसार लिया जाता है। इन प्रकरणों पर निर्णय लेने के दौरान Unfairmeans Redressal Committee समय–2 पर सुझाव दिया गया है कि अनेकों बार प्रकरण की गम्भीरता अधिक नही होती परन्तु विनिमय R-14 में विहित प्रावधान अनुसार सजा प्रकरण की गम्भीरता के अनुपात में या तो बहुत सख्त हो जाती है या अत्यन्त कम सजा घोषित हो पाती है। अतः उक्त प्रकार (मध्यम प्रकृति के अपराध) के प्रकरणो के निस्तारण हेतु R-14 में विहित सजा के प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है।

Present provision of Regulation R-14

Explanation of punishment described in above paras according to semester scheme

(b) **If the present semester examination is cancelled:** All the theory papers (i.e. end term examination along with lower and higher back papers) if appeared shall be cancelled. However the marks obtained in mid-term, practical and sessionals shall be carried forward. The student shall reappear in theory papers as back paper examinee.

Should be replaced by

(b) (i)**Cancellation of present appeared semester examination :** All the theory papers (i.e. end term examination) of appeared semester in which he/she found guilty of using unfairmeans shall be cancelled. However the marks obtained in mid-term, practical and sessionals shall be carried forward. The student shall reappear in theory papers as back paper examinee.

(ii) **Cancellation of present semester examination:** All the theory papers (i.e. end term examination along with lower and higher back papers) if appeared shall be cancelled. However the marks obtained in mid-term, practical and sessionals shall be carried forward. The student shall reappear in theory papers as back paper examinee.

Rest provisions of Regulation R-14 shall remain same.

संकल्प–35.10 **प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया ।**

प्र.म. 35.11 **विश्वविद्यालय परीक्षा विनियम –पुनर्मूल्यांकन के नियम (विनियम R-18) में सशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय पुनर्मूल्यांकन परिणाम तैयार करते समय कतिपय परिस्थितियों में ऐसे संयोग (Combination) प्राप्त होते है, जिसमें मुख्य परीक्षक व पुनर्मूल्यांकन परीक्षक के अंकों में भिन्नता का स्तर 20% से अधिक होता है। जिसमें से यदि मुख्य परीक्षक के अंक अत्यधिक कम हो तो पुनर्मूल्यांकन परीक्षक के अंको का लाभ छात्रों को प्राप्त नही हो पाता है। पुनर्मूल्यांकन परिणाम की वर्तमान विनियमानुसार गणना करते समय परिणाम अनुत्तीर्ण हो सकता है। अतः प्रस्तावित संशोधन में प्रावधान अंकित किया गया है कि यदि पुनर्मूल्यांकन परीक्षक न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रदान कर देता है तो विनियम प्रावधान अनुसार परिणाम गणना करते समय परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित नही हो सकेगा।

Regulation R-18 (Revaluation)

(X) If the the award of the re-evaluator is more than the award of the Main Examiner subject to a limit of 20% of the maximum marks prescribed for the paper, the award of the re-evaluator shall be taken as the marks obtained in revaluation.

In case the award of the re-evaluator exceeds the above limit of 20% of the maximum marks prescribed for the paper, the average of the marks awarded by the main examiner and the re-evaluator will be taken as the marks obtained with at least 20% of maximum marks as minimum, and 50% of the marks in excess of 20% be also added to the final award of the marks subject to the condition that :

If on account of revaluation, the marks of the candidate decrease, then the average of the marks awarded by the Main Examiner and the re-evaluator shall be taken as marks obtained subject to the condition that :

Such decrease upto 10% of the maximum marks will be considered as the final award of the marks, and his/her result/division is not adversely affected.

Should be read as

Regulation R-18 (Revaluation)

(X) If the the award of the re-evaluator is more than the award of the Main Examiner subject to a limit of 20% of the maximum marks prescribed for the paper, the award of the re-evaluator shall be taken as the marks obtained in revaluation.

In case the award of the re-evaluator exceeds the above limit of 20% of the maximum marks prescribed for the paper, the average of the marks awarded by the main examiner and the re-evaluator will be taken as the marks obtained with at least 20% of maximum marks as minimum, and 50% of the marks in excess of 20% be also added to the final award of the marks subject to the condition that :

If the award of the re-evaluator is more than the minimum passing marks and the final considerable marks calculated as per above para is below the minimum passing marks, then the minimum passing marks will be considered as the final award of the marks.

If on account of revaluation, the marks of the candidate decrease, then the average of the marks awarded by the Main Examiner and the re-evaluator shall be taken as marks obtained subject to the condition that :

Such decrease upto 10% of the maximum marks will be considered as the final award of the marks, and his/her result/division is not adversely affected.

59

संकल्प 35.11 **पुर्नमूल्यांकन में छात्रों के प्राप्तांको में निर्धारित सीमा से अधिक अन्तर आने पर शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य से वंचित (Debar) रखने के बारे के लिए माननीय विधायक श्री रामनारायण मीणा जी एंव संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा विद्यार्थियों के गलत मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु नियम इत्यादि बनाने का सुझाव दिया गया, जिसे माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया । इस संबंध में कुलपति एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा एक समिति का गठन किया जावे जो कि सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर अपने सुझाव देगी ।**

प्र.म. 35.12 विश्वविद्यालय की चयन समितियों में आरक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने हेतु प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य एवं विधायक महोदय श्री पाना चन्द जी मेघवाल, द्वारा अपने पत्रांक 2020/170 दिनांक 09.02. 2020 के माध्यम से राज्य सरकार एवं यूजीसी/एआईसीटीई के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अधिकारियों की भर्ती के लिए गठित की जाने वाली चयन समितियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व करने हेतु उक्त वर्गों का अकादमिशियन चयन समितियों में नामिनेट किये जाने का प्रस्ताव रखने का निवेदन किया गया है इस हेतु माननीय महोदय द्वारा कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं माननीय सदस्य प्रबन्ध मण्डल श्री राम नारायण मीना जी को भी प्रतियॉ प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत की गई है । माननीय महोदय द्वारा IITs/NITs/ UPSC/RPSC जैसी सभी संस्थानों द्वारा भी इसकी पालना का लिखा गया है । अतः प्रस्तावित है कि माननीय सदस्य के प्रस्ताव को IITs/NITs/ UPSC/RPSC जैसी संस्थानों में किए हुए प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों एवं अधिकारियों की भर्ती हेतु ACT No. 18, 1974 में वांछित सशोधन का प्रस्ताव उचित माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित करने का संकल्प लेने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत है ।

संकल्प 35.12 **इस सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 13 फरवरी 2014 मे उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया गया ।**

एवं

श्री राम नारायण मीणा, माननीय विधायक का सुझाव था कि चयन समिति में 50 प्रतिशत अनु.जाति/जनजाति के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने हेतु माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को पत्र प्रेषित किया जावे ।

चूंकि प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देश यथावत स्वीकार करने हेतु निर्णय लिया गया परन्तु माननीय विधायक श्री रामनारायण मीणा जी की भावना का उल्लेख भी प्रस्ताव भेजते समय किया जावेगा।

प्र.म. 35.13

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में निम्नांकित पदों पर प्रतिनियुक्ति पर भर्ती करने के अनुमोदन हेतु।

1. कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
2. कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)
3. कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल)
4. सुरक्षा अधिकारी

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में उक्त चारो पद गत अनेक वर्षो से स्वीकृत होने के साथ साथ रिक्त भी चल रहे हैं अतः उपरोक्त पदों पर जब तक स्थाई रूप से अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं हो जाती तब तक इन पदों पर प्रतिनियुक्ति से भरने की स्वीकृति प्रदान करना प्रस्तावित है।

संकल्प 35.13

प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया एवं निर्देश दिए गए कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जावे ।

प्र.म. 35.14

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय मे निम्नलिखित नये पद सृजित करने हेतु प्रस्ताव।

1. उद्यान निरीक्षक : 02 पद
2. सैनेटरी इंस्पेक्टर : 02 पद

उद्यान निरीक्षक हेतुः संपूर्ण वि''वविद्यालय परिसर में स्थित गार्डन, Approx. 4.06 Hect. में विकसित गार्डन व लगभग 5000 पेड–पौधो के रखरखाव हेतु, पर्यावरण सुधारने की दृष्टि से, वि''वविद्यालय के Face Lift हेतु 02 उद्यान निरीक्षक की आव''यकता है।

सैनेटरी इंस्पेक्टर हेतुः संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था, लगभग 200 भवन, 10 कि.मी. लंबी सडक, लगभग 15 कि.मी. लंबी सीवर लाईन एंव सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के रखरखाव हेतु, पर्यावरण की दृष्टि से एंव Hygienic Campus के लिए 02 सैनेटरी इंस्पेक्टर की आवश्यकता है।

59

संकल्प 35.14 **प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं निर्देश दिए गए कि राज्य सरकार को उक्त पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।**

प्र.म.35.5(टी) विश्वविद्यालय में 300 किलोवाट का सोलर पेनल स्थापित करने के आदेश का अनुमोदन बाबत् ।

संकल्प35.5(टी) **माननीय सदस्यों द्वारा सोलर पेनल स्थापित किया जाने के आदेश का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया एवं माननीय विधायक श्री पाना चन्द मेघवाल जी द्वारा इस सन्दर्भ में पूर्व में इसी फर्म से सोलर प्लाण्ट स्थापित करवाये गये थे, जिसकी सब्सिडी विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई। अतः इस हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही कर की गई कार्यवाही को आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में रखा जावे।**

BoM 35.1.R **Reporting of Revised Quality Index Value (QIV) format for academic session 2020-21.**

64^{th} Board of Inspection vide agenda 64.7 has approved the Revised Quality Index Value (QIV) format from academic session 2020-21.

In the approved QIV format effective from 2020-21, the parameters at sr. no. 6, column no.3, the multiplication factor of 40, due to typographical error, is to be amended as 50 as the QIV score for parameter no. 6 has been 50 only.

Further, parameter at sr. no.16(b), the word scoopers be read as scopus.

The enclosed corrected Revised Quality Index Value (QIV) format effective from academic session 2020-21 is submitted for perusal and approval of BOM members

संकल्प 35.1(आर) **अवलोकन किया गया एवं निर्देश दिए गए कि यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के स्तर पर राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशित होने की अवस्था में उसके अंक भी सम्मिलित किए जाने चाहिए ।**

BoM 35.2(R) Reporting of Revised College Transfer Regulations.

64th Board of Inspection vide agenda 64.11 has approved the Revised College Transfer Regulations. The same is reported to BOM for perusal of BOM members.

संकल्प 35.2(आर) **माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया कि वर्तमान सत्र के लिए जो प्रतिपादित नियम हैं, उनका पालन किया जावे एवं आगामी सत्र से राज्य सरकार के नियमानुसार संशोधन किया जावे ।**

BoM 35.3 R Reporting **of BOI Minutes (1st to 63rd Special BOI).**

64th Board of Inspection vide agenda 64.11 has approved the BOI Minutes (1st to 63rd Special BOI). The same is reported to BOM for perusal of BOM members.

संकल्प 35.3(आर) माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

प्र.म.35.4(आर) विद्या परिषद की 29वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन ।

संकल्प–35.4(आर)माननीय सदस्यों द्वारा विद्या परिषद की 29वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया । कार्यवाही विवरण के निर्णय बिन्दु सं.29.12 में त्रुटिवश अंकित 29.13 को 29.12 पढ़ा जावे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया ।

(प्रो. आर. ए. गुप्ता)
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

(सुनीता डागा)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव
प्रबन्ध मण्डल

a) **Initiatives during Lock Down for the welfare of students:**

1. Online distribution of documents with online fee
2. Mercy Exam for eligible students
3. Provision of late fee has been relaxed
4. Regular Online classes and midterm tests were conducted for which an exclusive U-tube channel of RTU was established.
5. Online training was arranged due to shut down of industries.
6. Online conduct of Ph.D. and Dissertation Via-va
7. Regular meeting of Deans, HoDs and Principal of affiliated colleges were conducted to review the various activities.
8. University is ready to conduct offline exam s of final year students from 15th July with all necessary precautions with regards to COVID-19.

b) **Initiatives for achieving Academic Excellence:**

1. Last Year one BTech Program of Electrical Engineering was accredited by NBA and efforts are being made for getting accreditation of four more programs this year.
2. A Three days workshop was arranged on "Outcome Based Education and NBA Accreditation Process" in which every faculty of UD has participated and the workshop was addressed by Madam Suchi Sharma ji, Sh Anil Sahstrabuddheji and Anil Kumar Nasa ji
3. The syllabus and scheme of B Tech programs have been revised as per Model Curriculam of AICTE and examination scheme is converted to CBCS. The revision of MTech program is under process and will be implemented from the upcoming academic session.
4. Issuing guidelines to check plagiarism in academic work.

c) **Organizing Online Meetings of various Statutory Bodies of RTU:**

1. Online meetings of Finance committee, Faculty of Engineering and Architect, Academic Council have been arranged. The minutes of these committees we are going to put before the hon'ble of BOM during this meeting.

d) **Activities related with social and Human Values aspects:**

1. With the support of AICTE three five days on line work shops were arranged to train the Chairman, Principals and Senior faculty of affiliated colleges on Universal Human Values and Student Induction Program.
2. Smart Village: Village Morukala and Chhipadhada: Distribution of mask and RashanSamgri
3. Constitutional Park will be developed as per the guidelines issued by Hon'ble Governor.
4. A sanitizer machine was developed by the students of robotic club of RTU.

e) **Activities for Green Campus Clean Campus:**

1. Work order has been placed for 300 kW solar plant with this the total solar power capacity will reach to 600 kW in next two months.
2. A webinar on Green Building was also organized: Hon'ble Governor has delivered the inaugural address.
3. RTU was awarded Certificate of Excellence by AICTE for tree plantation under the scheme "One student One Tree"
4. All necessary measures related to COVID-19 has been effectively taken like, Sanitization of different buildings, thermos scanning at the entrance, sanitizing machines in the campus, ensuring social distancing etc.